निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 चैत्र 1938 (श0)

(सं0 पटना 289) पटना, सोमवार, 11 अप्रील 2016

जल संसाधन विभाग

————

अधिसूचना

12 जनवरी 2016

सं0 22 नि0 सि0 (पट0)–03–12/2012/75——श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, पटना सिटी जब उक्त पद पर पदस्थापित थे (माह फरवरी, 2010 से जून, 2012 तक) तब उनके विरूद्ध पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, करबिगहिया, पटना के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमणकारियों को हटाने के क्रम में निर्माणाधीन बहुमंजिली अपार्टमेन्ट के छोड़ दिये जाने के साजिश से संबंधित प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–1103 दिनांक 10.10.12 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–12 दिनांक 07.01.13 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही संचालन के दरम्यान श्री श्रीवास्तव दिनांक 30.06.13 को सेवानिवृत हो गये। तत्पश्चात विभागीय अधिसूचना सं0–913 दिनांक 02.08.13 द्वारा श्री श्रीवास्तव को दिनांक 30.06.13 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए नियम–17 के तहत संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी0) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 100 दिनांक 20.01.14 द्वारा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए श्री श्रीवास्तव से निम्नांकित बिन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा किया गयाः–

''आप यदि पदस्थापन काल के आरंभ से ही उक्त विभागीय बहुमूल्य भूखण्ड को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई करते तो इस भूखण्ड पर अवैध रूप से बहुमंजिली भवन का निर्माण नहीं होता एवं सरकारी सम्पत्ति सुरक्षित रहती। अतएव सरकार की बेशकीमती जमीन को हड़पे जाने की साजिश में आपकी भूमिका परिलक्षित होती है।''

श्री श्रीवास्तव से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में श्री श्रीवास्तव प्रशासनिक विफलता के लिए दोषी पाये गये। साथ ही पाया गया कि उक्त अतिक्रमित भूमि श्री श्रीवास्तव के क्षेत्राधिकार में था। प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0 1770 दिनांक 10.08.15 द्वारा श्री श्रीवास्तव को ''पाँच प्रतिशत पेंशन पर पाँच वर्षों तक रोक'' का दण्ड संसूचित किया गया तथा विभागीय पत्रांक 1897 दिनांक 24. 08.15 द्वारा निलंबन अवधि के सेवा का निरूपण एवं वेतन भत्ता के अनुमान्यता के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–11 (5) में निहित प्रावधान के आलोक में नोटिस निर्गत किया गया। श्री श्रीवास्तव से प्राप्त नोटिस का जवाब पत्रांक–शून्य दिनांक 07.09.15 की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी।

समीक्षा में पाया गया कि श्री श्रीवास्तव द्वारा ऐसा कोई तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि यह समझा जाय कि उनका निलंबन अनुचित था। श्री श्रीवास्तव द्वारा मात्र यह कहा गया है कि उनके द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–11 (3) के आलोक में विभागीय कार्यवाही के संचालन में पूर्ण सहयोग किया गया है। उक्त के आलोक में उनके द्वारा निलंबन अवधि दिनांक 10.10.12 से दिनांक 30.06.13 तक का सेवा निरूपण एवं वेतन भत्ता के भुगतान के संबंध में आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया।

समीक्षोपरान्त निलंबन को अनुचित ठहराने के संबंध में कोई तथ्य नहीं दिये जाने के कारण श्री श्रीवास्तव के अभ्यावेदन दिनांक 07.09.15 को अस्वीकृत करते हुए ''निलंबन अवधि दिनांक 10.10.12 से दिनांक 30.06.13 तक में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी'' का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, पटना सिटी सम्प्रति सेवानिवृत को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 289-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in